

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

संविदा के अन्तर्गत चालक पद पर भर्ती विषयक।

विज्ञापन संख्या- 02

दिनांक 26-04-2017

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के देहरादून, नैनीताल एवं टनकपुर क्षेत्र के अन्तर्गत द्वितीय चरण में 286 संविदा चालको की तकनीकी टैस्ट के आधार पर संविदा के रूप में निम्नवत् भर्ती की जाती है:-

संविदा चालक पद पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नवत् रहेगी:-

1-निगम में 286 संविदा चालको की रिक्तियों एवं उनके पद की शैक्षिक योग्यता का विवरण निम्नवत् है:-

क्षेत्रवार उपलब्ध पदों की संख्या।

क्षेत्र का नाम	क्षेत्रवार निर्धारित रिक्तियों का विवरण	संवर्गवार रिक्तियों का विवरण			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग
देहरादून	119	43	11	20	45
नैनीताल	96	06	07	09	74
टनकपुर	71	19	03	11	38
योग	286	68	21	40	157

नोट:- रिक्तियों की संख्या यथा आवश्यकता घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

संविदा चालक की शैक्षिक योग्यता निम्नवत् होगी:-

- (क) विज्ञापन की तिथि से पूर्व कक्षा-8 उत्तीर्ण होना चाहिये।
- (ख) विज्ञापन की तिथि को भारी वाहन चलाने का 05 वर्ष पुराना लाईसेंस, जिसमें पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने का कम से कम 03 वर्ष पुराना इन्डोर्समेन्ट एवं एक वर्ष पुराना हिल इन्डोर्समेन्ट आवश्यक होगा।
- (ग) ऊँचाई
- 1- मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये 5 फिट 5 इंच।
 - 2- पहाडी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये 5 फिट 2 इंच।

पहाडी क्षेत्र का तात्पर्य ऐसा होगा जैसा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश में अधिसूचित किया जाये।

संविदा चालको का मानदेय—

संविदा चालकों को मानदेय का भुगतान उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप देय होगा। वर्तमान में देय दरे निम्नवत् है, जिनमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाता रहा है:-

निगम बसों हेतु मानदेय :-

मार्ग श्रेणी	वर्तमान में प्रतिकि०मी० निर्धारित देय दर
मैदानी मार्ग	रू० 1.69 पैसे
पर्वतीय मार्ग	रू० 2.06 पैसे

JNNURM बसों हेतु मानदेय:-

मार्ग श्रेणी	वर्तमान में प्रतिकि०मी० निर्धारित देय दर
मैदानी मार्ग पर 709 मॉडल की बसों हेतु	रू० 2.06 पैसे
मैदानी मार्ग पर सेमी लो फ्लोर की बसों हेतु	रू० 2.19 पैसे
पर्वतीय मार्ग	रू० 2.46 पैसे

2- आयु - अभ्यर्थी की आयु 01-01-2017 को 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

3- चरित्र- संविदा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह संविदा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। वह :-

(एक)- यथास्थिति, ऐसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था जिसमें वह अन्तिम बार पढा हो, के प्राक्टर या प्रधानाचार्य से, या

(दो)- दो राजपत्रित अधिकारियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो और उसके निजी जीवन से भलीभांति परिचित हों, सचरित्रता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी के चरित्र और पूर्व-वृत्त के सम्बन्ध में ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारियों से जैसा आवश्यक समझा जाय, अग्रेतर जांच कर सकता है।

टिप्पणी:-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधान या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा, पदच्युत व्यक्ति सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

- 4- वैवाहिक प्रारिथि- संविदा में किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो ।

परन्तु इस विषय पर सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, निगम इस विनियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

- 5- शारीरिक स्वस्थता-(एक) किसी अभ्यर्थी को संविदा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी या निगम द्वारा नाम निर्दिष्ट या अनुमोदित किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी से विहित प्रपत्र में स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

(दो)- संविदा चालक के पद पर नियुक्त व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रति वर्ष या ऐसे अन्तराल पर जैसा महाप्रबन्धक द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय, चिकित्सकीय परीक्षण, विशेषतः दृष्टि परीक्षण कराये।

(तीन)- उप विनियम (दो) में निर्दिष्ट स्वस्थता परीक्षण में अनुतीर्ण व्यक्ति की संविदा सेवाये समाप्त की जा सकती है।

- 6- आरक्षण- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों हेतु 19 प्रतिशत, अनुसूचित जन जातियों हेतु 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश में निर्धारित नीति के अन्तर्गत कृषि आरक्षण उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों हेतु 5 प्रतिशत, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों हेतु 2 प्रतिशत उत्तराखण्ड शासन के नियमानुसार प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर ही अनुमन्य होगा।

उत्तराखण्ड के आन्दोलनकारियों एवं अन्य वर्गों हेतु कृषि आरक्षण एवं आयु सम्बन्धी नियम तत्समय उत्तराखण्ड प्रदेश में लागू शासनादेश के अनुसार होंगे।

- 7- आरक्षित पदों हेतु उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- 8- संविदा चालक पद हेतु आवेदन पत्र प्रेषण के समय लिफाफे के ऊपर जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका पदनाम लिखा होना चाहिए तथा आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा रू0 40.00 का डाक टिकट लगा लिफाफा (27X12 सेमी0) संलग्न होना अनिवार्य है।
- 9- अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा निरस्त कर दिए जाएंगे।

- 10- शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण/प्रशिक्षण सम्बंधी प्रमाण पत्रों व अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित छाया प्रति अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- 11- निगम में आवेदन जमा करने की तिथि तक अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- 12- संविदा चालक पद हेतुसामान्य श्रेणी/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये रू0 200.00 (दो सौ रूपये), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये रू0 100.00 (एक सौ रूपये) का परीक्षा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन) उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून/नैनीताल/टनकपुर (जैसी भी स्थिति हो) के नाम देय होगा, संलग्न किया जायेगा।
- 13- (1) संविदा चालक पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी की परीक्षा मण्डलीय स्तर पर प्रथम टैस्ट हेतु गठित समिति एवं निगम मुख्यालय स्तर पर द्वितीय टैस्ट हेतु गठित समिति द्वारा ली जायेगी।

प्रथम टैस्ट हेतु:-

मण्डलीय स्तर पर चालक पद हेतु प्रथम टेस्ट 100 अंको का होगा जिसमें निम्न 12 बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रथम टेस्ट मुख्यालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा लिया जायेगा जिसमें कम से कम 5 सदस्य होंगे जिनमें तकनीकी विशेषज्ञ भी होंगे।

टैस्ट हेतु निर्धारित मद पूर्णांक

(1)	वाहन चलाने से पूर्व उसका तेल/पानी हवा आदि की जांच	5
(2)	स्टार्ट करते समय आवश्यक सावधानी बरतना	5
(3)	गेयर चेंजिंग	10
(4)	क्लच पैडल पर चलाते समय पैर न रखना	5
(5)	स्टेरिंग कंट्रोल	20
(6)	ब्रेक का प्रयोग किसी अन्य सवारी को ओवर टेक करते समय	10
(7)	सामने से आने वाले दूसरे वाहन की स्पीड व निकलने की जगह का अन्दाज	10
(8)	बैक व्यूमिरर व हार्न का प्रयोग	5
(9)	वाहन चलाने हेतु सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित प्रयोग की क्षमता	10
(10)	ट्रैफिक साईन व सिग्नल का ज्ञान	5
(11)	स्वास्थ्य, ऊँचाई	5
(12)	व्यवहार, नम्रता व पर्सनाल्टी	10
	योग	100

नोट:- उपरोक्त टेस्ट में कम संख्या-3 गियर चेंजिंग, कम संख्या-5 स्टेरिंग कंट्रोल, कम संख्या-6 ब्रेक का प्रयोग, कम संख्या-7 ओवर टेकिंग का अन्दाज एवं कम संख्या-9 वाहन चलाने की सभी प्रक्रियाओं के प्रयोग की क्षमता के पांच मुद्दों में पूर्ण अंक पाने वाले को ही द्वितीय टेस्ट हेतु फिट समझा जायेगा। इन बिन्दुओं पर या तो पूर्ण अंक दिये जायेगे, अथवा शून्य दिया जायेगा।

द्वितीय टैस्ट हेतु:-

मण्डलीय स्तर पर लिये गये प्रथम टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की एक सूची चयन समिति द्वारा बनायी जायेगी। चयन के दूसरे भाग में परिवहन निगम द्वारा निर्धारित संस्थान में इन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का दूसरा टेस्ट लिया जायेगा।

दूसरे भाग में होने वाला दूसरा टेस्ट निम्न 5 बिन्दुओं पर लिया जायेगा:-

	<u>अधिकतम अंक</u>
1- चढ़ाई वाले स्थान पर बस को स्टार्ट कर आगे बढ़ाना	10 अंक
2- एक अष्टाकार मार्ग पर एक मिनट में बस चलाना	10 अंक
3- बस को "एस" आकृति के मार्ग पर पीछे की ओर चलाना	10 अंक
4- एक निर्धारित स्थल पर गाडी बैक कर खडी करना	10 अंक
5- ट्रैफिक सिग्नल, इलैक्ट्रिक सिग्नल, और मैनुवल सिग्नल की जानकारी	10 अंक
	<u>50 अंक</u>

दूसरा टेस्ट 50 अंक का होगा तथा इसमें न्यूनतम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त दोनो टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की एक प्रवीणता सूची जो उनके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय टेस्ट में प्राप्त किये जाने वाले कुल अंको के योग से प्रकट हो के अनुसार बनाई जायेगी तथा चालक के मण्डलवार रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

- 14- संविदा चालक पद हेतु छपा हुआ आवेदन पत्र का प्रारूप रिक्तियों हेतु विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। अभ्यर्थी इसी प्रारूप में निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ सम्बन्धित मण्डलीय कार्यालयों में आवेदन कर सकेगा। उक्त आवेदन पत्र **A-4** के कागज पर स्पष्ट रूप से टंकित होना चाहिये।
- 15- जो अभ्यर्थी अन्तिम रूप से चयनित होंगे उन्हें निगम में उनके पद के अनुरूप निगम के अधीन किसी भी डिपो में यथा आवश्यकता तैनात किया जा सकता है।
- 16- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक-11-05-2017 तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा सीधे निम्न लिखित पते पर प्राप्त होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

देहरादून क्षेत्र हेतु- कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, 66, गौंधी रोड़, देहरादून।

नैनीताल क्षेत्र हेतु- कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), मण्डलीय कार्यशाला, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, काठगोदाम।

टनकपुर क्षेत्र हेतु- कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर।

—:आवेदन पत्र का प्रारूप:—

- 1- आवेदित पद का नाम:-----
- 2- आवेदक का नाम:-----
- 3- जन्मतिथि:-----
- 4- आयु:-(दिनांक 01.01.2017 को)वर्षमाह.....दिन)
- 5- पिता का नाम:-----
- 6- स्थायी पता:-----
- 7- पत्र व्यवहार का पता:-----
- 8- जाति श्रेणी (सामान्य/पिछडी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति):-----
- 9- क्षैतिज आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र -----
- 10- बैंक ड्राफ्ट का विवरण:-बैंक का नाम:-----, ड्राफ्ट संख्या:-----
देय धनराशि:-----
- 11- शैक्षिक योग्यता:-----
- 12- सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण का विवरण:-----
- 13- दूरभाष संख्या/मोबाइल नं0-1----- 2-----
- 14- तैनाती हेतु वरीयता क्रम:- 1:-
2:-
3:-
- 15- उत्तराखण्ड परिवहन निगम में कार्यरत एजेन्सी/बाह्य स्रोत के रूप में कार्यरत चालको का विवरण:-----
डिपो का नाम:-----
कब से कार्यरत है-----

अभ्यर्थी का स्वयं का
हस्ताक्षरित एवं
दिनांक सहित
पासपोर्ट साईज का
नवीनतम फोटो

घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री.....घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना तथा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है, मेरे द्वारा इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है अथवा छुपाया गया पाया जाता है तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त किए जाने एवं मेरे विरुद्ध समुचित कार्यवाही किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और निगम में प्राप्त की गयी नियुक्ति निरस्त करने पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होऊँगा।

स्थान:-.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर...

दिनांक:-.....

पूरा नाम:-.....